

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
द दून वैली पब्लिक स्कूल देवबन्द,
सहारनपुर।

पत्रांक:- बेसिक/मान्यता/ 28813-14 /2019-20 दिनांक :- 12/2/2020

विषय:- मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं० एस0टी0/33-34/98-99 दिनांक 03.04.1998 के द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 04 के अधीन आपकी सेस्था कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिन्दी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिये प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र देवबन्द के पत्र दिनांक 06.02.2020 की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षों से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उल्लंघन करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के आधार पर शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर-15 के प्रावधानानुसार, उक्त अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो तीन वर्षों की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है, के अधीन यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(रमेश कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ०स०/बेसिक/मान्यता/ /2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा मे,

प्रबन्धक,

द दून वैली पब्लिक स्कूल देवबन्द,
सहारनपुर।

29/11-123

पत्रांक:- बेसिक/मान्यता/

28/11-123

/2019-20 दिनांक :-

19-02-2020

विषय:- मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं० शि०स०/8017-18/99-2000 दिनांक 27.02.2001 के द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 04 के अधीन आपकी सेरथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हिन्दी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिये प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र देवबन्द के पत्र दिनांक 06.02.2020 की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षों से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उल्लंघन करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के आधार पर शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर-15 के प्रावधानानुसार उक्त अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो तीन वर्षों की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है, के अधीन यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(रमेश कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ०स०/बेसिक/मान्यता/

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।